उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2014)

THE UTTAR PRADESH WATER MANAGEMENT AND REGULATORY COMMISSION ACT, 2014

(U.P. Act No. 5 of 2014)

उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम, 2014

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2014]

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ। भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 4 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और दिनांक 4 मार्च, 2014 को ही सर्वसाधारण के सूचनार्थ उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में प्रकाशित किया गया।]

राज्य के भीतर कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु टैरिफ को संस्तुत एवं विनियमित करने एवं लाभान्वित भू-स्वामियों से बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर का उद्ग्रहण करने के लिये राज्य को नीति तैयार करने एवं जल संसाधन के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण, साम्यापूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, राज्य के पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये –

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

v/;k;&,d

ikjfEHkd

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(4) इस अधिनियम के उपबंध, उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 या उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अन्य विधि, जिसके अन्तर्गत भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित किसी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्ध भी हैं, में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, लागू होंगे।

परिभाषायें

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(एक) ''कार्यक्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें जल का प्रबंधन और उसका संभरण सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से है जो बाढ़ संरक्षण और जल-निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;

(दो) ''कछार'' का तात्पर्य किसी नदी के इर्द-गिर्द के ऐसे भू-क्षेत्र से है जिससे धारायें उसमें प्रवाहित होती हैं;

(तीन) ''थोक जल हकदारी'' का तात्पर्य किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथाउपबंधित किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार से है;

(चार) ''उपयोग की श्रेणी'' का तात्पर्य विभिन्न प्रयोजनों यथा पेय और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण संबंधी प्रयोजन आदि और उसके अंतर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी हैं, के लिये जल उपयोग के वर्णीकरण से है;

(पाँच) ''उपकर'' का तात्पर्य बाढ़ संरक्षण और जल-निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी/पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि से है;

(छः) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(सात) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग से है;

(आठ) ''हकदारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु आयोग द्वारा किये गये प्राधिकार से है;

(नौ) ''भूजल'' का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर, ऐसे भू-वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अंतर्गत भूजल के जलाशय भी हैं, भूतल के नीचे किसी जलकुण्ड में विद्यमान रहता हो;

(दस) ''भू-गर्भजल हकदारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञाप्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से या भू-गर्भजल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा, मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत या थोक जल हकदारी से है;

(ग्यारह)''व्यक्तिगत जल हकदारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी प्राधिकार से है;

(बारह)''एकीकृत राज्य जल योजना'' का तात्पर्य सतही और भूजल दोनों के प्रयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना से है;

(तेरह)''लाइसेंस'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस से है;

(चौदह) ''लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप/डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अंतर्गत भू-गर्भ जल के दोहन द्वारा यथाविहित घरेलू उपयोग नहीं है, भू-गर्भजल का उपयोग करता हो;

(पन्द्रह) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(सोलह) ''अधिसूचित क्षेत्र'' का तात्पर्य अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आने वाली इकाई/विकास खण्ड से है, जैसा कि राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाय;

(सत्रह) ''विहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत हकदारी के आवंटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(अठ्ारह) ''परियोजना स्तरीय इकाई'' का तात्पर्य किसी जल संसाधन परियोजना के अंतर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाइयों के किसी समूह से है;

(उन्नीस) ''कोटा'' का तात्पर्य किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा से है जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;

(बीस) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों से है;

(इक्कीस) ''चयन समिति'' का तात्पर्य अध्याय—दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति से है;

(बाईस) ''सीवर व्यवस्था'' का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है;

(तेईस)''राज्य जल नीति'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति, 1999 से है;

(चौबीस) ''स्वारा'' और ''स्वारडैक'' का तात्पर्य क्रमशः राज्य जल संसाधन अभिकरण और राज्य जल संसाधन आँकड़ा और विश्लेषण केन्द्र से है जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् आयोग के प्राविधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा;

(पच्चीस) ''टैरिफ'' का तात्पर्य जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग से है;

(छब्बीस) ''उपयोगकर्ता'' का तात्पर्य किसी जल प्रयोक्ता इकाई यथा अभिकरण, कंपनी, व्यक्ति, निदेशक आदि से है जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू, उद्योगों, नगरपालिका/ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हो;

(सत्ताईस)''भू-गर्भ जल प्रयोक्ता'' का तात्पर्य व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर, घरेलू उपयोग को छोड़कर, किसी प्रयोजन के लिये भूजल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कंपनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों से है;

(अट्ठाईस)''जल'' का तात्पर्य नदियों में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलभ्रत या प्राकृतिक जल-निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औद्योगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात् पुनः चक्रित जल अर्थात् जल संभरण और सीवर-व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल-निकास और तटबंधों, जल संग्रहण और जल विद्युत से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक्र के अंतर्गत संग्रहीत या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से है जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है;

(उनतीस)''जल प्रयोक्ता इकाई'' का तात्पर्य जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;

(तीस) ''जल उपलब्धता'' का तात्पर्य किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भूजल जो पुनःभरण योग्य है, की उपलब्धता से है;

(इक्तीस)''जल गुणवत्ता'' का तात्पर्य ऐसे सुलभ जल से है जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।

v/;k;&nks

vk;ksx dh LFkkiuk

आयोग की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक आयोग की स्थापना करेगी जिसे उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेषित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

(3) आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और पाँच से अनधिक संख्या के सदस्य होंगे।

(5) अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता

4–(1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता होः–

(क) v/;{k %&

अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबंधित विभागों का अनुभव रखता हो।

(ख) lnL;x.k&

(एक) एक सदस्य जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान की सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई/ जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।

(दो) एक सदस्य जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त/एकाउण्टेंसी में एम0बी0ए0 हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान में आचार्य के रूप में या कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 4–क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिये या उसकी वित्त, विनियम, टैरिफ संरचना आदि से संबंधित सारभूत व्यावसायिक पृष्ठभूमि अवश्य होनी चाहिये।

(तीन) एक सदस्य पेयजल और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/सार्वजनिक स्वास्थ्य/ पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको नगरीय/ ग्रामीण जल संभरण/जल निकास/सीवर व्यवस्था और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये और उसने जल संभरण के लिए भूजल विकास और वृहद जल शोधन संयंत्र में विशिष्ट अनुभव रखने के साथ मुख्य अभियंता के रूप में या उसके समकक्ष पद पर सेवा की हो।

(चार) एक सदस्य कृषि/भू-प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको कृषि/उद्योग/अध्यापन/अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये।

(पाँच) एक सदस्य नलकूप/पम्प नहर/भू-गर्भ जल अनुसंधान एवं अध्ययन/वर्षा जल संचयन एवं सम्बन्धित महत्वपूर्ण यांत्रिक/लघु सिंचाई कार्यों के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान की यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक/भूगर्भ शास्त्र या भू-भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो और कम से कम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो एवं मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।

(2) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा/करेगी।

(3) अध्यक्ष आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(4) जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो, वहाँ राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हों, वहाँ विद्यमान सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष या सदस्य होने के लिये अनर्हता

5–कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह हो जायेगा यदि वह,–

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या

(ग) नैतिक अक्षमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो और कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(च) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय आयोग का आसीन/भूतपूर्व सदस्य हो या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी हो; या

(छ) किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो या उसमें कोई पद धारण किया हो।

चयन समिति का गठन और कृत्य

6–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार –पदेन अध्यक्ष

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार –पदेन सदस्य

(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार –पदेन सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार –पदेन सदस्य

(ङ) प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार–पदेन सदस्य

(च) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार –पदेन सदस्य

(छ) प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार –पदेन सदस्य

(ज) प्रमुख सचिव,सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार –पदेन सदस्य सचिव

(झ) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञों जो सदस्य/सदस्यों के अपेक्षित विशेषज्ञता से सम्बन्धित हों।

(2) राज्य सरकार मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होने के दिनांक से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षिता या उसके कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति को यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति के कार्यनिष्पादन, अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हताओं और अनुभव पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा।

(4) चयन समिति निर्देश दिये जाने के दिनांक से दो माह के भीतर सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

(5) चयन समिति उसे निर्देशित की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिये दो नामों के पैनल की संस्तुति करेगी।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगाः—

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबंध या व्यवस्था की जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता होः

(एक) सतही जल अपयोजन, जल वितरण, भूजल का निकाला जाना या जल संभरण;

(दो) जल उद्योग से संबंधित मशीनरी, संयत्र, उपस्कर, उपकरण या साज सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाड़ा या उनकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार;

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यावसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली कोई इकाई।

(ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसा कि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।

(7) उप धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त विवरण को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्ति के चयन और उसकी संस्तुति के समय चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

(8) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में रूचि से स्वयं को निर्निहित रखेगा।

(9) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।

(10) जब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण करता है और किसी भी कारण, जो भी हो, से अध्यक्ष या सदस्य से उसके प्रविरत हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक वह उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई पद, नियोजन या परामर्शदात्री व्यवस्था या कोई वित्तीय हित प्राप्त, धारण या अनुरक्षित नहीं करेगा और यदि वह अनैच्छिक रूप में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन स्वरूप ऐसा कोई हित प्राप्त करता है तो वह ऐसा हित प्राप्त किये जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस हित से स्वयं को निर्निहित कर लेगा।

(11) किसी व्यक्ति को संस्तुत करने के पूर्व चयन समिति स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उपधारा (6) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

(12) चयन समिति के समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे।

(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय।

(14) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, चयन समिति में केवल किसी प्रकार की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

7–(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य को लगातार दो से अनधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को एक माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है या उसे धारा–8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विहित की जाय।

(5) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे।

(6) इस रूप में पद धारण से प्रविरत होनेवाला अध्यक्ष या कोई सदस्य;–

(क) राज्य सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाय उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(ख) उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये किसी वाणिज्यिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

Li"Vhdj.k ½–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ–

(एक) ''राज्य सरकार के अधीन नियोजन'' में किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य आयोग के अधीन या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी निगम या समिति के अधीन नियोजन सम्मिलित है।

(दो) ''वाणिज्यिक नियोजन'' का तात्पर्य जल संसाधन से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में संलग्न किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत से नियोजन से है और उसमें किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का साझीदार भी सम्मिलित है और इसमें, या तो स्वतंत्र रूप में या किसी फर्म के साझीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में संव्यवहार स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।

lfefr dk xBu vkj dR;

अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना

8–(1) इस प्रयोजनार्थ उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारियों को दिये गये निर्देश पर राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारियों से नियुक्त तीन जॉच अधिकारियों के पैनल द्वारा की गयी जॉच के आधार पर सूचित किये जाने के पश्चात, कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर और विपक्ष के नेता के परामर्श से सूचित किए जाने के पश्चात कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिये, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा उसके पद से हटाया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसे जांच रिपोर्ट और मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित पैनल, जिनके अन्य सदस्य सिंचाई मंत्री एवं विपक्ष के नेता होंगें, की संस्तुति पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को उनके पद से हटाया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसने धारा 5 में उल्लिखित किसी अनर्हता को प्राप्त किया हो।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष या किसी सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से उपधारा (1) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार हटाया जायेगा।

(4) राज्य सरकार यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय की सूचना, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष या संबंधित सदस्य को दी जायेगी।

आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति

9–(1) आयोग, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ऐसे कर्तव्यों, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को करने एवं उनका निष्पादन करने के लिये एक सचिव, जो राज्य सरकार के अधीक्षण अभियन्ता (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) स्तर से नीचे का न हो एवं जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और जिसे जल प्रक्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, को नियुक्त कर सकता है।

(2) आयोग राज्य जल संसाधन अभिकरण/ राज्य जल संसाधन डाटा एवं विश्लेषण केन्द्र से आवश्यक आदान प्राप्त करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपने कार्यों के अतिरिक्त आयोग हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे।

(3) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विनियमों द्वारा विहित की जांय।

(4) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व उनके लिये लागू निबंधन एवं सेवा शर्तों से कम लाभकारी नहीं होंगी और वे उनके लिये अलाभकारी नहीं होंगी।

(5) राज्य सरकार आयोग द्वारा इस संबंध में किये गये प्रस्ताव के आधार पर आयोग में प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।

(6) आयोग में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी सिवाय इसके कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधारों यथा पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, पदच्युति या अधिवर्षिता पर या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से संप्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित हो तो वह राज्य सरकार के अधीन सेवा से संप्रत्यावर्तित रहेगाः

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, अवकाश भत्तों, सेवानिवृत्ति पेंशन, भविष्य निर्वाह निधि और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित समस्त मामलों का विनियमन, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी जाय, द्वारा किया जायेगा।

(7) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन के निमित्त आयोग की सहायता करने के लिये अपेक्षित परामर्शदाताओं को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, नियुक्त कर सकता है।

आयोग की कार्यवाहियाँ

10–(1) आयोग राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर, जैसाकि अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में (अपनी बैठकों की गणपूर्ति सहित) कारबार को संव्यवहृत करने में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का संप्रेक्षण करेगा जैसाकि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

(2) अध्यक्ष या यदि वह आयोग की बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहॉ कोई अध्यक्ष न हो वहॉ उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे समस्त मामलों, जो आयोग के समक्ष आते हैं, पर विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

(4) आयोग के समस्त विनिश्चय, निदेश और आदेश तर्कसंगत आधार पर लिखित में होंगे और किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध होंगे और उनकी प्रतियॉ भी ऐसी रीति से उपलब्ध करायी जाएंगी जैसीकि आयोग अवधारित करे।

(5) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(6) आयोग के समस्त आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

रिक्तियां आदि कार्य या कार्यवाही को विधिमान्य नहीं करेगी

11–आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी या उसको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा कि कोई रिक्ति विद्यमान थी या आयोग के गठन में कोई त्रुटि थी।

v/;k;&rhu

vk;kx dh ‘kfDr;k] dR; vkj dRrO;

आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य

12–आयोग निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:–

(क) घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजन के लिए सतही जल एवं उप–सतही जल के उपयोग के लिए टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना;

(ख) विभिन्न श्रेणी के उपयोग के लिए और प्रत्येक श्रेणी के उपयोग के अन्तर्गत हकदारी के संवितरण को अवधारित करना और उन्हें विनियमित करना;

(ग) समय-समय पर टैरिफ/ जल प्रभारों का पुनर्विलोकन करना एवं उनकी अनुश्रवण करना;

(घ) नयी परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ़ संरक्षण और जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भू–स्वामी से प्रभारित किये जाने वाले उपकर की दर को अवधारित करना;

(ङ) समय-समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अंतर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य जल संसाधन अभिकरण द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/नदी कछार योजनाओं के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(च) राज्य जल नीति के अनुसार विभिन्न सेक्टर सम्बन्धी जल आवश्यकता के लिए जल के हकदारी के आवंटन एवं वितरण को अवधारित करना;

(छ) संबंधित इकाई द्वारा नदी कछार/उप–कछार स्तर पर प्रस्तावित नई जल संसाधन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करना और उन्हें यह सुनिश्चित करते हुये स्वीकृति प्रदान करना कि प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रत्येक इकाई के जल आवंटन के संबंध में, एकीकृत राज्य जल योजना के अनुरूप है अर्थात आर्थिक रूप से, जल भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से और पर्यावरणीय रूप से जीवनक्षम है;

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मात्रा और उपयोग के प्रकार दोनों में वास्तविक जल उपयोग, हकदारियों के अनुपालन में है, जल उपयोग की हकदारियों की प्रवर्तन, अनुश्रवण और माप प्रणाली स्थापित करना;

(झ) पर्यावरण के संरक्षण का अनुश्रवण करना और स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार सतही और भूजल संसाधनों की गुणवत्ता की संरक्षा और सुरक्षा के लिये रूपरेखा के विकास को सुगम बनाना;

(ञ) जल के अपव्यय को न्यूनीकृत करने के लिये जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र के क्रियाकलापों में स्पर्द्धा, कार्यक्षमता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(ट) उत्तम जल प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना;

(ठ) भू–गर्भजल पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिये वर्षा जल संचयन को प्रवर्तित करना;

(ड) किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी विनिश्चयों या आदेशों को प्रवर्तित करना या इस प्रयोजन के लिये किसी विद्यमान अभिकरण को सशक्त करना;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किसी मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और उसे परामर्श देना।

उपरोक्त (घ) से (ढ) तक की शक्तियां और कृत्य संस्तुति/सलाह के रूप में रहेंगी एवं राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् क्रियान्वित होंगी।

आयोग की सामान्य नीतियाँ

13–(1) आयोग, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करेगा;

(2) आयोग राज्य में कार्यदायी अभिकरणों के माध्यम से राज्य जल नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में ठोस जल संरक्षण एवं प्रबंधन रीतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देगा;

(3) आयोग, सुसंगत राज्य अभिकरणों के पूर्ण समन्वय से राज्य के भीतर जल गुणवत्ता में वृद्धि और उसके संरक्षण के निमित्त सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

14–राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक

15–आयोग, समय–समय पर राज्य सरकार के निर्देश पर निम्न पर सलाह दे सकता है–

(क) जल सम्भरण सेवा और उपभोक्ताओं द्वारा जल के कुशल प्रयोग के संवर्धन के संबंध में समग्र निष्पादन के ऐसे मानकों का अवधारण कर सकता है जो उसकी राय में मितव्ययितापूर्ण हो और ऐसे लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किया जा सके और भिन्न–भिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा भिन्न–भिन्न मानक अवधारित किये जा सकते हैं; और

(ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकता है जैसा आयोग उचित समझे।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

16–(1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या कारबार के संबंध में कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को उपलब्ध करायी गयी है या उसे प्राप्त हुई है, वर्गीकृत के रूप में समझी जायेगी और उसे आयोग द्वारा संबंधित व्यक्ति या कारबार के प्रभारी व्यक्ति की सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार को या ऐसे व्यक्ति को जिसे कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध उसकी आवश्यकता हो, प्रकट किया जा सकता है।

(2) उपधारा(1) के अन्तर्विष्ट प्रतिबंध टैरिफ से संबंधित सूचना पर लागू नहीं होगा।

(3) आयोग के पास उपलब्ध सूचना गोपनीय रखी जायेगी और उसे किसी व्यक्ति या अभिकरण को केवल आयोग की अनुमति से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

v/;k;&pkj

ys[kk] ys[kk ijh{kk vkSj fjiksVZ

राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान

17–(1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे :

प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय राज्य की समेकित निधि से भारित किया जायगा।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निष्पादन के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जाएगा और आयोग के व्यय के लिये फीस भी प्रभारित कर सकता है।

लेखा और लेखा परीक्षा

18–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करायेगा।

(2) आयोग के लेखे की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अन्तराल पर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा से संबंधित उपगत व्यय का भुगतान आयोग द्वारा महालेखाकार को किया जाएगा।

(3) आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रतियॉ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

19–(1) आयोग विगत वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये तैयार करेगा और इसकी प्रतियॉ राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(2) राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

v/;k;&ikp

idh.k

आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक आयोग

20–आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

21–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी एक के संबंध में व्यवस्था हो सकती है अर्थातः–

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) रीति और तरीका जिसमें आयोग के लेखे अनुरक्षित किए जाएंगे; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किए जाने की अपेक्षा हो या विहित किया जा सकता हो।

विनियम बनाने की शक्ति

22–(1) आयोग इस अधिनियम के अधीन दक्ष निष्पादन और उसके कृत्यों के लिए विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल न हों।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था हो सकती है, अर्थातः–

(क) अपने कृत्यों के निष्पादन में आयोग के कार्यकलापों का प्रशासन;

(ख) लाइसेंस धारियों और जल के क्रय, वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त अन्य व्यक्तियों को सौंपे जाने वाले कृत्यों का निर्धारण, वह ढंग जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और जल सम्भरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में अपनाई और लागू की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की प्रक्रिया और शर्तें, लाइसेंस के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस स्वीकृत किया जाएगा, लाइसेंस की अपेक्षा से छूट की स्वीकृति, लाइसेंसों का विखण्डन और संशोधन और उनका प्रभाव और उससे संबंधित सभी विषय;

(घ) लाइसेंसधारियों के कर्त्तव्य, शक्तियाँ अधिकार और दायित्व;

(ङ.) उन व्यक्तियों द्वारा जो जल वितरण और जल संभरण या उसके प्रयोग में अन्तर्ग्रस्त हों, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और सूचना, विवरण, दस्तावेज, लेखे और बहियॉं, प्रस्तुत करने की रीति और तरीका;

(च) राजस्व और टैरिफों के निर्धारण की निबंधन और शर्तें और प्रक्रिया;

(छ) राज्य में जल वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के मानकों का निर्धारण;

(ज) लाइसेंसधारी और जल उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;

(झ) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड और शास्ति की धनराशि जिसमें अर्थदण्ड और शास्तियों के अधिरोपण की रीति और तरीका और उसके संग्रह का ढंग सम्मिलित है;

(ञ) किसी अन्य विषय की, जिसकी विनियमों द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो, व्यवस्था की जा सकती है।

23–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात से या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के कारण से, कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जैसा उस स्थिति में आवश्यक हो, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांक के पश्चात बारह मास की अनधिक अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जाएगा।

उद्देश्य और कारण

पर्याप्त आर्द्रता वाले उत्तर प्रदेश राज्य में जल का अभाव और इसकी गिरती हुई गुणवत्ता अब स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी है जो बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ और भी गम्भीर हो जाएगी। जल मूलभूत मानव आवश्यकता है और विकास योजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इस सीमित संसाधन का नियोजन राज्य के विकास संबंधी अनुभवों द्वारा किया जाना है जो अन्य बातों के साथ–साथ भौगोलिक परिस्थितियों, जलीय स्तर (सतह और भूगर्भ जल), जल आवंटन प्राथमिकताओं और अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए भी उत्तरदायी होगा।

राज्य के लिए यह परमावश्यक है कि सीमित और अभाव युक्त जल संसाधनों का अत्यंत मितव्ययी, दक्ष और वहनीय प्रयोग करके पेयजल, कृषि और गैरकृषि उद्योगों, सिंचाई, जल–विद्युत, परिस्थिति–विज्ञान, नौ–परिवहन और समय–समय पर राज्य जल नीति में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अन्य प्रयोगों में उपयोग के लिए बढ़ावा दें। यह अनुश्रवण करना राज्य सरकार का कर्तव्य है कि भूमिगत जल संग्रह का पोषण किया जाए और नदियों के जल का नदी प्रणाली की परिस्थिति के संतुलन को दृष्टि में रखते हुए उपयोग किया जाए। राज्य सरकार का यह भी उत्तरदायित्व है कि जल के समान और पोषणीय वितरण के निर्धारण में उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं के लिए अपेक्षित समुचित उपायों के साथ जल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बनाए रखा जाए। राज्य सरकार जल के प्रयोग और उपयोग के लिए जल संवाहक प्रणाली के उचित प्रशासन, परिचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य जल टैरिफ प्रणाली को स्थापित करने और जल प्रभारों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

राज्य के प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य के भीतर जल संसाधनों को विनियमित करने, सुकर बनाने और विवेकपूर्ण, साम्य और पोषणीय प्रबंधन, आवंटन और राज्य के पर्यावरण सम्बन्धी आर्थिक रूप से पोषणीय विकास के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिए जल प्रयोग की दरें निर्धारित करने और राज्य जल नीति के अनुसार समुचित नियामक लिखत के माध्यम से लाभान्वित भू–स्वामियों से बाढ़ संरक्षण और जल निकासी कार्यों द्वारा लाभान्वित भूमियों पर उपकर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए विधि बनाई जाए।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।

———

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 1 सा0 विधायी-19-06-2024-(212)-700 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।